न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 176/2022

प्यारा सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति मजहबी साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. सोहन सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति मजहबी साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. गुलाब सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति मजहबी साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. शिवदयाल पुत्र जमूराम जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. सतपाल पुत्र जमूराम जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
5. दर्शन सिंह पुत्र जूपराम पुत्र दीवानचन्द जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
6. दलवीर सिंह पुत्र जूपराम पुत्र दीवानचन्द जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. रिछपाल पुत्र जमूराम जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

8/1. सर्वजीत कौर पत्नी रामकुमार जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

8/2. शकुन्तला पुत्री रामकुमार जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

8/3. संतोष पुत्री रामकुमार जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

8/4. जितेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति बाजीगर साकिन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

10. सभो बाई पत्नी जूपराम		जाति बाजीगर
11. वीरचन्द	पिसरान	साकिन अमरपुरा ढाणी
12. जंगीरो	जूपराम	तहसील
13. बंशो बाई		पीलीबंगा
14. बलवीर कौर		जिला
15. परमजीत कौर		हनुमानगढ़ राजस्थान।

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र रमाणा
2. श्री हीरालाल बिरथलिया — अप्रा० संख्या 1 ता 8/4
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रा० संख्या 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25/10

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मन निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्राप्त हाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार को पत्र जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रकरण में अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क सीपीसी के तथ्य इस प्रकार से है कि –प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वही है। जो शिर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी प्यारा सिंह के नाम निम्नांकित कृषि भूमि है –चक नं. 21 पीबीएन खाता सं. 76/67 प.न. 8/327 किला न. 13, 18, 23, 25 की 1.012 हैक्ट. प.न. 7/327 किला न. 3, 8, 13, 18, 23 की 1.265 हैक्ट. कुल 2.277 हैक्ट. अनकमांड मय रास्ता। यह कि अप्रार्थीगण शिवदयाल, रिछपाल, सतपाल, जूपराम के नाम निम्नाकिंत कृषि भूमि है –चक नं.21 पीबीएन खाता सं. 49/110 प.न. 8/327 किला न. 12, 14 ता 17, 19, 22, 24 की 2.024 हैक्ट. प.न. 7/327 किला न 2 की 0.253 हैक्ट. कुल 2.277 हैक्ट. अनकमांड मय रास्ता

चक 21 पीबीएन खाता संख्या 50/160 प.न. 7/326 किला न 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 25 की 1.898 हैक्ट. प.न. 8/326 किला न. 22 ता 25 की 1.012 हैक्ट. प.न. 8/327 किला न. 1 ता 11 की 2.783 हैक्ट. कुल 5.693 हैक्ट. अनकमांड मय रास्ता। यह कि अप्रार्थीगण गुलाब सिंह वल्द हरनेक सिंह के नाम निम्नाकिंत कृषि भूमि है–चक नं. 21 पीबीएन खाता सं.32/30 प.नं.8/327 किला नं. 20, 21 की 0.506 हैक्ट. प.न. 7/327 किला न. 6, 15, 16, 25 की 1. 012 हैक्ट. प.न. 7/328 किला न. 5, 6, 15 की 0.759 हैक्ट. कुल 2.277 हैक्ट. अनकमांड । यह कि अप्रार्थीगण सोहन सिंह वल्द हरनेक सिंह के नाम निम्नाकिंत कृषि भूमि है –चक नं.21 पीबीएन

खाता सं.189/161 प.नं.7/327 किला नं. 4, 5, 7, 14, 17, 24 की 1.468 है. 7/328 4, 7, 14 की 0.759 है. कुल 2.277 हैक्ट. अनकमांड । यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि जो कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये प.नं. 7/327 के किला नं. 23 में जो ढ़ाणी बनी हुई है उसमें से अप्रार्थी सं.1 सोहन सिंह के प.नं. 7/327 किला नं. 24 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थी सं.2 गुलाब सिंह के प.नं. 7/327 किला नं. 25 में 0.013 हैक्ट., प.नं. 8/327 के किला नं. 21 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थीगण शिवदयाल, रिछपाल, सतपाल, जूपराम के सयुक्त खाता में प. नं. 8/327 के किला नं. 22, 24 प्रत्येक में 0.013 हैक्ट. रास्ता जो पिछले कई सालो से चला आ रहा है में से होता हुआ अपनी कृषि भूमि के प. नं. 8/327 के किला नं. 25 मे प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू हैं। प्रार्थी को इस चालू रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता सुविधाजनक व चालू नही है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प कृषि भूमि में जाने के लिये नही है। इसी रास्ता से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में कृषि औजार लाता व ले जाता है व कृषि कार्य करता है। इस कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतू इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। इस कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में पहुंचने के लिये अप्रार्थी सं.1 सोहन सिंह के प.नं. 7/327 किला नं. 24 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थी सं.2 गुलाब सिंह के प.नं. 7/327 किला नं. 25 में 0.013 हैक्ट. प.नं. 8/327 के किला नं. 21 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थीगण शिवदयाल, रिछपाल, सतपाल, जूपराम के सयुक्त खाता में प.नं. 8/327 के किला नं. 22, 24 प्रत्येक में 0.013 हैक्ट. चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। यह कि यह कि अप्रार्थी सं.7 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि अप्रार्थी सं.1 सोहन सिंह के प.नं. 7/327 किला नं. 24 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थी सं. 2 गुलाब सिंह के प.नं. 7/327 किला नं. 25 में 0.013 हैक्ट., प.नं. 8/327 के किला नं 21 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थीगण शिवदयाल, रिछपाल, सतपाल, जूपराम के सयुक्त खाता में प.नं. 8/327 के किला नं. 22, 24 प्रत्येक में 0. 013 हैक्ट. चालू रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया गया की अप्रार्थी संख्या 8 रामकुमार पुत्र भूपराम का देहान्त हो गया है उसके वारिसान को पक्षकार संयोजित किया जावे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 8 के वारीसान को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 8/1 ता 8/4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर हाजिर नहीं होने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 8/4 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी जूप राम के समस्त वारीसान को पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बाद रिपोर्ट तहसीलदार जूप राम के वारीसान को पक्षकार संयोजित किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 3,5, 6/2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से संबंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी सं. 3, 4, 7 व मिन अप्रार्थी सं. 5, 6 के पिता, 8/1 ता 8/4 के पति, पिता जूपराम पुत्र दिवानचन्द के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रार्थी द्वारा स्व. जूपराम के समस्त वारिसों को पक्षकार नही बनाया गया है। स्व. जूपराम की पत्नी व 4 पुत्रीयां व एक पुत्र ओर है, जिनको प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। चूंकि पूर्व मे भी प्रार्थी द्वारा इसी अनवान के प्रार्थना पत्र मे जूपराम के पुत्र रिछपाल जो कि अप्रार्थी सं. 7 के रूप मे अब पक्षकार है को संयोजित नही किया गया था के अभाव माननीय राजस्व अपीलप्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा बनअनवानी प्रकरण रिछपाल बनाम प्यारा सिंह आदि प्र. सं. 254/2021 मे माननीय न्यायालय ने अधि नस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.01.2019 ने अपास्त करते हुए इस आश्य के साथ अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित किया गया कि धारा 251 – क के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का पालन कर उभयपक्ष को सुनकर ही विधि सम्मत निर्णय पारित करे। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकार के अभाव में इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे अर्थात प्रार्थना पत्र मे आगामी कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित ना हो। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 असत्य, मनगढ़त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1–2 प्रार्थी के भाई है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1, 2 से दुर्भिसंधी की हुई है। प्रार्थी की कृषि भूमि अलग अलग मुरब्बों मे स्थित है। प्रार्थी ने अपने भाईयों अप्रार्थी सं. 1–2 व मेजर सिंह, केशर सिंह के साथ घरू बंटवारा किया हुआ था और घरू बंटवारा के अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता नही होने के कारण से प्रार्थी द्वारा अच्छी मे अच्छी कृषि भूमि प्राप्त की गई। मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे कोई रास्ता चालू नही है और ना ही कभी चालू रहा है क्योंकि प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को अलग अलग स्वीकृत शुदा रास्ता लगते है इसलिए प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से किसी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कानूनी है। **अतिरिक्त कथन** यह कि चक 21 पीबीएन के प.नं. 8ई/327 के किला नं. 12 ता 25, प.नं. 7ई/327 के किला नं. 1 ता 25, प.नं. 7ई/ 328 के किला नं. 4 ता 7, 14, 15 कुल तादादी 12.260 हैक्ट. प्रार्थी के पिता हरनेक सिंह पुत्र साधू सिंह के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। प्रार्थी के पिता श्री हरनेक सिंह के देहान्त के पश्चात हरनेक सिंह के नाम वर्णित कुल 12.260 हैक्ट. कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 सोहन सिंह, गुलाब सिंह व मेजर सिंह, केशर सिंह को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई । चित्रप्रति विरासतन इन्तकाल प्रति संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों को हरनेक सिंह से जबाव प्रार्थना पत्र की मद सं. 9 मे प्राप्त कृषि भूमि का प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के द्वारा अच्छी मंदी व खाल रास्ता की सहुलियत के हिसाब से आपसी सहमति से घरा घरू बंटवारा किया गया और घरा घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम से मुताबिक विभाजन एवं घरू बंटवारा अनुसार अलग–अलग किले प्राप्त हुए, इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव जो तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया था मे विशेष रूप से खाला व रास्ता का ध्यान रखा गया था के अनुसार प्रार्थी को जो कृषि भूमि विभाजन मे प्राप्त हुई थी को कानूनन रूप से रास्ता लगता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अन्य कोई रास्ता मिन अप्रार्थीगण की कृषि [illegible] अधिकारी नही है। यह कि मिन अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थी के भाई मे[illegible]त्र हरनेक सिंह से चक 21 पीबीएन के खाता सं. 110 के प.नं. 8[illegible] 19, 22, 24 की 2.024 हैक्ट., प.नं. 7/327 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्ट. [illegible] तादादी 2.277 हैक्ट. अ. क. म. गै.मु. रास्ता (2.252 हैक्ट. अ.क. + 0.025 हैक्ट. रास्ता) से बरूवे पंजीयन बैयनामा दिनांक 13.02.2012 को खरीद की गई। चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 1[illegible].2012 संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है। यह कि मिन अप्रार्थीगण के पिता जूपराम द्वारा प्रार्थी के भाई केशर सिंह पुत्र हरनेक सिंह से चक 21 पीबीएन के खाता सं. 16 के प.नं. 7/327 के किला नं 1, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल तादादी 2.277 हैक्ट. अ.क. म.गै.मु. रास्ता (2.252 हैक्ट. अ.क.+0.025 हैक्ट. रास्ता) बरूवे पंजीयन बैयनामा दिनांक 13.02.2012 को खरीद की गई। चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 13.02.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

2012 संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है। यह कि जबाव प्रार्थना पत्र की मद सं. 11, 12 मे वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की खरीदशुदा कृषि भूमि है तथा खरीद के समय प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों द्वारा बेचान के समय मिन अप्रार्थीगण के पिता को यह आश्वास्त किया गया था कि हम सभी भाईयों की कृषि भूमि को स्वीकृत शुदा रास्ता लगते है तथा हम सभी की जमीन रास्ता पर ही स्थित है। भविष्य मे प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों मे से कोई भी भाई आपको बेचान की गई कृषि भूमि मे से रास्ता खाला इत्यादि की मांग नही करेगा। इसकी जानकारी प्रार्थी को बैयनामा के समय से ही थी कि प्रार्थी के भाईयों द्वारा मिन अप्रार्थीगण के पिता को जमीन बेचान कर दी, इस रंजिश के कारण से प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा कृषि भूमि के 5 वर्ष पश्चात मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से जबरन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि को वैकल्पिक रास्ता तथा कम दुरी का रास्ता प.नं. 81327 के किला नं. 23 मे लगता है, और उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए आनन फानन मे मिन अप्रार्थीगण के सभी परिवार के सदस्यों को पक्षकार संयोजित किये बिना ही अविधिक रूप से वर्ष 2019 मे रास्ता स्वीकृत करवा लिया जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय धारा 251 के विहित प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करे । यह कि प्रार्थी द्वारा स्व. जूपराम के समस्त वारिसों को पक्षकार नही बनाया गया है। स्व. जूपराम की पत्नी व 4 पुत्रीयां व एक पुत्र ओर है, जिनको प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति मे भी प्रार्थना पत्र की आगामी कार्यवाही की जानी संभव नही है जब तक स्व. जूपराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में स्व. जूपराम के समस्त वारिसों को रिकॉर्ड पर नही लिया जाकर विधिवत सुनवाई की जा सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकार के मे काबिल खारिज योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एवं शुन्य होने कारण से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 8/1 ता 8/4 प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से संबंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण के ससुर, दादा जूपराम जूपराम के समस्त पुत्र दिवानचन्द के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रार्थी द्वारा स्व. वारिसों को पक्षकार नही बनाया गया है। स्व. जूपराम की पत्नी व 4 पुत्रीयां व एक पुत्र ओर है, जिनको प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। चूंकि पूर्व मे भी प्रार्थी द्वारा इसी अनवान के प्रार्थना पत्र मे जूपराम के पुत्र रिछपाल जो कि अप्रार्थी सं. 7 के रूप मे अब पक्षकार है को संयोजित नही किया गया था के अभाव माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा बनअनवानी प्रकरण रिछपाल बनाम प्यारा सिंह आदि प्र. सं. 254/2021 मे माननीय न्यायालय ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.01.2019 ने अपास्त करते हुए इस आश्य के साथ अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित किया गया कि धारा 251–क के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का पालन कर उभयपक्ष को सुनकर ही विधि सम्मत निर्णय पारित करे। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकार के अभाव मे इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे अर्थात प्रार्थना पत्र मे आगामी कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित ना हो। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 असत्य, मनगढ़त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1–2 प्रार्थी के भाई है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1, 2 से दुर्भिसंधि [illegible] भूमि अलग – अलग मुरब्बों मे स्थित है। प्रार्थी ने अपने भाईयों अप्रार्थी सं. 1–2 [illegible] सिंह, केशर सिंह के साथ घरू बंटवारा किया हुआ था और घरू बंटवारा [illegible] भूमि मे जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता नही होने [illegible] अच्छी मे अच्छी कृषि भूमि प्राप्त की गई। मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे कोई रास्ता [illegible] नही है और ना ही कभी चालू रहा है क्योंकि प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि [illegible] अलग अलग स्वीकृत शुदा रास्ता लगते है इसलिए प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से किसी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कानूनी है। **जवाब अतिरिक्त कथन** यह कि चक 21 पीबीएन के प.नं. 8/327 के किला नं. 12 ता 25, प.नं. 7ई/327 के किला नं. 1 ता 25, प.नं. 7ई/328 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 4 ता 7, 14, 15 कुल तादादी 12.260 हैक्ट. प्रार्थी के पिता हरनेक सिंह पुत्र साधू सिंह के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। प्रार्थी के पिता श्री हरनेक सिंह के देहान्त के पश्चात हरनेक सिंह के नाम वर्णित कुल 12.260 हैक्ट. कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 सोहन सिंह, गुलाब सिंह व मेजर सिंह, केशर सिंह को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई । चित्रप्रति विरासतन इन्तकाल प्रति संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों को हरनेक सिंह से जबाव प्रार्थना पत्र की मद सं. 9 मे प्राप्त कृषि भूमि का प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के द्वारा अच्छी मंदी व खाल रास्ता की सहुलियत के हिसाब से आपसी सहमति से घरा घरू बंटवारा किया गया और घरा घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम से मुताबिक विभाजन एवं घरू बंटवारा अनुसार अलग-अलग किले प्राप्त हुए, इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव जो तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया था मे विशेष रूप से खाला व रास्ता का ध्यान रखा गया था के अनुसार प्रार्थी को जो कृषि भूमि विभाजन मे प्राप्त हुई थी को कानूनन रूप से रास्ता लगता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अन्य कोई रास्ता मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है ।

यह कि मिन अप्रार्थीगण के ससुर, दादा द्वारा प्रार्थी के भाई मेजर सिंह पुत्र हरनेक सिंह से चक 21 पीबीएन के खाता सं. 110 के प.नं. 8/327 के किला नं. 12, 14 ता 17, 19, 22, 24 की 2.024 हैक्ट., प.नं. 7/327 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्ट. कुल तादादी 2.277 हैक्ट. अ.क. म.गै.मु. रास्ता (2.252 हैक्ट. अ.क. + 0.025 हैक्ट. रास्ता) से बरूवे पंजीयन बैयनामा दिनांक 13.02.2012 को खरीद की गई। चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 13.02.2012 संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है।

यह कि मिन अप्रार्थीगण के ससुर, दादा जूपराम द्वारा प्रार्थी के भाई केशर सिंह पुत्र हरनेक सिंह से चक 21 पीबीएन के खाता सं. 16 के प.नं. 7/327 के किला नं 1, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल तादादी 2.277 हैक्ट. अ.क. म.गै.मु. रास्ता (2.252 हैक्ट. अ.क.+0.025 हैक्ट. रास्ता) बरूवे पंजीयन बैयनामा दिनांक 13.02.2012 को खरीद की गई। चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 13.02.2012 संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है।

यह कि जबाव प्रार्थना पत्र की मद सं. 11, 12 मे वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की खरीदशुदा कृषि भूमि है तथा खरीद के समय प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों द्वारा बेचान के समय मिन अप्रार्थीगण के ससुर, दादा को यह आश्वास्त किया गया था कि हम सभी भाईयों की कृषि भूमि को स्वीकृत शुदा रास्ता लगते है तथा हम सभी की जमीन रास्ता पर ही स्थित है। भविष्य मे प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों मे से कोई भी भाई आपको बेचान की गई कृषि भूमि मे से रास्ता खाला इत्यादि की मांग नही करेगा। इसकी जानकारी प्रार्थी को बैयनामा के समय से ही थी कि प्रार्थी के भाईयों द्वारा मिन अप्रार्थीगण के पिता को जमीन बेचान कर दी, इस रंजिश के कारण से प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण के ससुर, दादा की खरीदशुदा कृषि भूमि के 5 वर्ष पश्चात मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से जबरन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि को वैकल्पिक रास्ता तथा कम दुरी का रास्ता प.नं. 8/327 के किला नं. 23 मे लगता है, और उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए आनन फानन मे मिन अप्रार्थीगण के सभी परिवार के सदस्यों को पक्षकार संयोजित किये बिना ही अविधिक रूप से वर्ष 2019 मे रास्ता स्वीकृत करवा लिया जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय धारा 251 के विहित प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करे ।

यह कि प्रार्थी द्वारा स्व. जूपराम के समस्त वारिसों को पक्षकार नही बनाया गया है। स्व. जूपराम की पत्नी व 4 पुत्रीयां व एक पुत्र को प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति मे भी प्रार्थना पत्र की आगामी कार्यवाही की जानी संभव नही है जब तक स्व. जूपराम के नाम वर्णित कृषि भूमि मे स्व. जूपराम के समस्त वारिसों को रिकॉर्ड पर नही लिया जाकर विधिवत सुनवाई की जा सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकार के अभाव में काबिल खारिज योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध शुन्य होने कारण से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है

यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 9 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 10 में वर्णित कथन अस्वीकार है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 11 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 12 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 13 में वर्णित कथन अस्वीकार है। मिन प्रार्थी की भूमि को कोई रास्ता नही लगता है। इसलिये प्रार्थी के द्वारा रास्ता लेने के लिये एक पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के यहां प्रस्तुत की जिसका प्रकरण सं. 12/2017 अनवान प्यारा सिंह बनाम सोहन सिंह आदि पेश हुआ। जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1 सोहन सिंह के चक 21 पीबीएन के प.नं. 7/327 किला नं. 24, अप्रार्थी सं.2 के चक 21 पीबीएन के प.नं. 71327 किला नं. 25, प.नं. 8/327 किला नं. 21 व अप्रार्थीगण शिवदयाल – रिछपाल–सतपाल–जूपराम की भूमि चक 21 पीबीएन के प.नं. 8/327 किला नं. 22, 24 में रास्ता स्वीकृत किया जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व मौका पर उक्त रास्ता चालू है। इसलिये अप्रार्थीगण के द्वारा मनगढ़त व झूठे तथ्य पेश किये गये है।यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 14 में वर्णित कथन अविधिक व असत्य मनगढ़त होने से अस्वीकार है क्योंकि जूपराम का देहान्त अप्रार्थी रिछपाल के द्वारा उक्त प्रकरण सं. 12/2017 की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की उस समय रेस्पोडेन्ट सं.6 जूपराम का देहान्त हो गया उस समय अपीलान्ट रिछपाल के द्वारा पक्षकार जो बनाये गये थे वही वर्तमान प्रार्थना पत्र में 6/1, 6/2, 8 थे। उस समय अपीलान्ट रिछपाल के द्वारा उक्त तथ्य छुपाये गये है। जिस कारण अप्रार्थी का अतिरिक्त कथन काबिल खारिज योग्य है। मौका पर जूपराम के तीन ही वारीस है जो सही व सत्य है। अतः जबाब अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त कथन को मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट 1345 दिनांक 21.02.2023 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा माने प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में रत आने वाली भूमि से सम्बन्धित समस्त है काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते भी चक 21 पीबीएन प.नं. 7 / 327 (23) कि.नं. 24 / 0.013, 25 / 0.013 प. नं. 8/327 (22) कि.नं. 21/0.013, 22/0.013, 24/0.013 हैक्ट है। नामा० सं० 1186 स्वीकृत दिनांक 20.09.2021 न्यायालय आदेशानुसार प.नं. 7/327 (23) 25/2/0.013 हैक्ट. प.नं. 8/327 (22) कि.नं. 21/2/0.013 हैक्ट, गै. मु. रास्ता व नामा. सं. 1187 स्वीकृत दिनांक 20.09.2021 न्यायालय आदेश अनुसार प.नं. 8/327 (22) कि. नं. 22/2/0.013 हैक्ट. व प.नं. 8/327 (22) 24/0.013 हैक्ट. गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ है। माननीय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर महोदय पीलीबंगा के उक्त निर्णय प्रकरण सं0 12/2017 प्यारा सिंह बनाम सोहन सिंह आदि निर्णय दिनांक 21.01.2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, हनुमानगढ़ अनवान रिछपाल बनाम प्यारा सिंह आदि क्रमांक 254/2021 दिनांक 24.12. 2021 द्वारा स्थगन है। प.नं. 8/327 (22) के कि.नं. 22/0.013 हैक्ट. में वर्तमान में पाइप लाईन का एक नका बना हुआ है जो पाईप लाईन से जुड़ा हुआ व जिससे कि०न० 22 में सिंचाई के काम में लिया जा रहा है। के प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता प.नं. 8/327 (22) कि.नं. 23 में लगता है। प.नं. 7/327 (23) कि.नं. 25/2/0. प.नं. 8/327(22) कि.नं. 013, 21/2/0. 013, 22/2/0.013, 24/2/0.013 हैक्ट. गै.मु. रास्ता पूर्व में स्वीकृत हुआ था। जिस बावत् माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय हनुमानगढ़ अनवान रिछपाल बनाम प्यारासिंह आदि 254/2021 दिनांक 24.12.2021 द्वारा स्थगन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि प्रकरण में 2021 में फैसला हो चुका है। [illegible] निर्णय की पालना में राशि भी जमा करवायी जाकर रास्ता का अंकन भी किया जा चुका है। अप्रार्थी द्वारा मा. राजस्व अपील अधिकारी को दायर अपील जो प्रश्नगत प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है इसी दौरान अपील अप्रार्थी जमूराम फौत है। वारीसान पक्षकार संयोजित किये जा चुके है। वर्तमान में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त है पुनः रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में प.न. सही है हलफनामा में केवल चक गलत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी द्वारा **लिखित बहस** अप्रार्थीगण सं. 3, 4, 6 की लिखित बहस निम्न प्रकार से है – यह कि चक 21 पीबीएन के प.नं. 8ई/327 के किला नं. 12 ता 25, प.नं. 7ई1327 के किला नं. 1 ता 25, प.नं. 7ई/328 के किला नं. 4 ता 7, 14, 15 कुल तादादी 12.260 हैक्ट. प्रार्थी के पिता हरनेक सिंह पुत्र साधू सिंह के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। प्रार्थी के पिता श्री हरनेक सिंह के देहान्त के पश्चात हरनेक सिंह के नाम वर्णित कुल 12.260 हैक्ट. कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 सोहन सिंह, गुलाब सिंह व मेजर सिंह, केशर सिंह को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई।

यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों को हरनेक सिंह से लिखित बहस की मद सं. 9 मे प्राप्त कृषि भूमि का प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के द्वारा अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सहुलियत के हिसाब से आपसी सहमति से घरा घरू बंटवारा किया गया और घरा घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम से मुताबिक विभाजन एवं घरू बंटवारा अनुसार अलग–अलग किले प्राप्त हुए, इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव जो तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया था मे विशेष रूप से खाला व रास्ता का ध्यान रखा गया था के अनुसार प्रार्थी को जो कृषि भूमि विभाजन में प्राप्त हुई थी को कानूनन रूप से रास्ता लगता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अन्य कोई रास्ता मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है।

यह कि मिन अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थी के भाई मेजर सिंह पुत्र हरनेक सिंह से चक 21 पीबीएन के खाता सं. 110 के प.नं. 8/327 के किला नं. 12, 14 ता 17, 19, 22, 24 की 2.024 हैक्ट., प.नं. 7/327 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्ट. कुल तादादी 2.277 हैक्ट. अ.क. म.गै.मु. रास्ता (2.252 हैक्ट. अ.क. + 0.025 हैक्ट. रास्ता) से व केशर सिंह पुत्र हरनेक सिंह से चक 21 पीबीएन के खाता सं. 16 के प.नं. 7/327 के किला नं 1, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल तादादी 2.277 हैक्ट. अ.क. म.गै.मु. रास्ता (2.252 हैक्ट. अ.क.+0.025 हैक् रास्ता) बरूवे पंजीयन बैयनामा दिनांक 13.02.2012 को खरीद की गई।

यह कि जबाव प्रार्थना पत्र की मद सं. 11, 12 मे वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की खरीदशुदा कृषि भूमि है तथा खरीद के समय प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों द्वारा बेचान के समय मिन अप्रार्थीगण के पिता को यह आश्वास्त किया गया था कि हम सभी भाईयों की कृषि भूमि को स्वीकृत शुदा रास्ता लगते है तथा हम सभी की जमीन रास्ता पर ही स्थित है। भविष्य मे प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों मे से कोई भी भाई आपको बेचान की गई कृषि भूमि मे से रास्ता खाला इत्यादि की मांग नही करेगा। इसकी जानकारी प्रार्थी को बैयनामा के समय से ही थी कि प्रार्थी के भाईयों द्वारा मिन अप्रार्थीगण के पिता को जमीन बेचान कर दी, इस रंजिश के कारण से प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा कृषि भूमि के 5 वर्ष पश्चात मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से जबरन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि को वैकल्पिक रास्ता तथा कम दुरी का रास्ता प.नं. 8/327 के किला नं. 23 मे लगता है, और उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए आनन फानन में मिन अप्रार्थीगण के सभी परिवार के सदस्यों को पक्षकार संयोजित किये बिना ही अविधिक रूप से वर्ष 2019 मे रास्ता स्वीकृत करवा लिया जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय धारा 251--के विहित प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करे।

श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट क्रमांक 1345 दिनांक 21.02.2023 बिन्दु सं." प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो चाहे गये रास्ते से कम दूरी का हो के विवरण [illegible] प.नं. 8/327 भी स्पष्ट है कि प्रार्थी जानबुझकर मिन अप्रार्थीगण की भूमि [illegible] रास्ता स्वीकृत 1 करवाना चाहता है जो कि कतई गलत एवं विधि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी के भाई अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी सं. 2 गुलाब सिंह द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे अपना कोई जबाव प्रस्तुत नही किया [illegible] है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 आपस मे सगे भाई है जिन्होने आपस [illegible] दुर्भिसंधि करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया है जो कि काबिल खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 आपस मे सगे भाई है जिनकी भूमि दो अलग मुरब्बों मे स्थित है। प्रार्थी की भूमि प.नं. 7/327 के किला नं. 6, 15, 16, 25, प.नं. 71328 के किला नं. 5, 6, 15,, प.नं. 8/327 के किला नं. 20, 21, व अप्रार्थी सं. 1 की भूमि प.नं. 7/327 के किला नं. 4, 5, 7, 14, 17, 24 मे स्थित है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उक्त भूमि पूर्व मे प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 की संयुक्त खाता की भूमि थी जिसका तहसीलदार से सहमति से विभाजन होने के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ने दुर्भिसंधि करते हुए रास्ता अपने अन्य भाईयों से रास्ता नही लिया गया ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को सर्वप्रथम खाता विभाजन के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी जो कि प्रार्थी द्वारा ऐसा नही करके मिन अप्रार्थीगण की भूमि मे से जबरन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं जो कि प्रार्थी को कोई कानून अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। यह कि अप्रार्थी स. 6/1, 6/2 व 8/1 से 8/4 के नाम से कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही है अर्थात रिकॉर्डर्ड खातेदार काश्तकार नही है। अप्रार्थी स. 6/1, 6/2 के पिता दलवीर सिंह व अप्रार्थी सं. 8/1 से 8/4 के पति, पिता रामकुमार के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है ऐसी स्थिति मे भी मृत व्यक्ति जो कि रिकॉडर्ड खातेदार है के वारिसान के नाम से राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नही हो जाता तब तक मिन अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता क्योकि माननीय न्यायालय व स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा एक निर्णय बनअनवानी राजाराम हरदेवाराम आदि निर्णय दिनांक 27.08.2024 मे यह मत दिया है मृतक के वारिसान के नाम से राजस्व अभिलेख में अमलदरामद नही होने के कारण से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251– क रा.का. अधि. आगे चलाया जाने का औचित्य नही है। मृतक के वारिसान के नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज होने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि लिखित बहस मिन अप्रार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। प्रकरण मा. राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा रिमाण्ड होने पर समस्त पक्षकारों को बाद सुनवाई **प्रकरण में हमारे द्वारा स्वयम् मौका निरीक्षण किया** गया। मौका पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जो की अप्रार्थी सं. 1 सोहन सिंह की भूमि चक 21 पीबीएन प.नं. 7/327 किला नं. 24 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थी सं. 2 गुलाब सिंह की भूमि प.नं. 7/327 किला नं. 25 में 0.013 हैक्ट., पं.नं. 8/327 के किला नं 21 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थीगण शिवदयाल, रिछपाल, सतपाल, जूपराम के संयुक्त खाता में प.नं. 8/327 के किला नं. 22, 24 प्रत्येक में 0.013 हैक्ट. चाहा गया है जो कि प्रार्थी की भूमि चक नं. 21 पीबीएन खाता सं. 76/67 प.न. 8/327 किला न. 13, 18, 23, 25 की 1.012 हैक्ट व प.न. 7/327 किला न. 3, 8, 13, 18, 23 की 1.265 हैक्ट. है कुल 2.277 हैक्ट. अनकमांड भूमि के प.न. 7/327 व 8/327 के दोनो पत्थरों की भूमि को लगता है। मौका पर किला न. 22 में नक्का का निरिक्षण किया गया उक्त नक्का रास्ता की साईड में बना हुआ है जिसके कारण रास्ता में कोई बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि के दोनों पत्थरों की भूमि को जोडता हुआ रास्ता है। इस लिए सुविधाजनक व आत्यातिक रास्ता की श्रेणी में आता है जो वर्तमान में अस्थाई रूप से बंद है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा के चक 21 पीबीएन कि अप्रार्थी सं. 1 सोहन सिंह के नाम प.नं. 7/327 किला नं. 24 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थी सं. 2 गुलाब सिंह के प.नं. 7/327 किला नं. 25 में 0.013 हैक्ट. प.नं. 8/327 के किला नं. 21 में 0.013 हैक्ट., अप्रार्थीगण शिवदयाल, रिछपाल, सतपाल, जूपराम के वारिसान (अप्रार्थी सं. 6, 7, 8, 8/1 ता 8/4, 10 ता 15) संयुक्त खाता में प.नं. 8/327 के किला नं. 22, 24 प्रत्येक में 0.013 हैक्ट. रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। रास्ता की भूमि [illegible] प्रार्थी प्रतिकर के रूप में डीएलसी का दुगुना राशि जमा जाकर तहसीलदार आदेश [illegible] पालना में उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 28/10/24 सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा